

2019/00010

27/3/19
22/4/19
29/5/19
18/7/19

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
17/19	88, 89, 90, 91, 92 एतएत कलम 85	कलम 85	बारा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रामचन्द्र कोशला	बनाम	कन्हैया कालि वगैरे	

वकील : श्री संजय नागा एंड. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
26/2/19	रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण	21-3-19
27/3/19	दस्तावेजों का जांच, प्रतिवादी का कौ	22-4-19
27/3/19	जहाँ सम्मन ताली की जाकर 27/3/19 को प्रेषित	24-5-19
27-3-19	उत्तर	उप खण्ड अधिकारी
22/4/19	उत्तर 22-4-19	18/7/19 19/8/19
22/5/19	गोदासीन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य में रहने से पूर्ववत् दिनांक 18/7/19 को प्रस्तुत की।	
18/7/19	पत्राचार की वजह से वकील वादी उपखण्ड अधिकारी प्रतिवादी उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई। 19/8/19 को पत्राचार किया।	

पत्रावली ज्ञान पेडा हुँ वकील वादी 300।
 उद्दिवादी ठण की तन्वी हेतु तन्वाजा पेडा 12।
 पत्रावली बाहे तन्वी दिनांक 20-12-24 को पेडा है।



20/12/24

पत्रावली पेडा 32। वकील वादी 300। वकील वादी
 द्वारा उद्दिवादी को हलकी है हलवाजा पेडा
 वही किया। खसप गाये है। इस में कहे कवस
 को जा तुके ही वादी द्वारा उद्दिवादी को हलकी है
 हलवाजा पेडा वही कहे के काल वादी का वाद
 मध्ये 5 डिग 5 पर के हलवा किया
 जाय है पत्रावली फेरल बुझाए केकल बाए लीर
 हलकी के प्राबिल फेरल है।

